an>

title: Need to set up Marine Immigration check posts at sea ports in Gujarat.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) ः गृह विभाग के 2013 के नियमों के मुताबिक दाउज (एम.एस.वी.) (समुद्री जहाजों) से आते-जाते आवागमन करते देशी-विदेशी नागरिकों की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की जांच की कार्यवाही के तहत इमिग्रेशन चेक पोस्ट का प्रारंभ करने का तय किया गया है। इस नियम के मुताबिक जिस प्रकार एयरपोर्ट पर पैसेंजरों की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की कार्यवाही होती है। इसी प्रकार दाउज (एम.एस.वी.) में विदेश से आवागमन करते क्रू-मैम्बर्स की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की कार्यवाही करने के लिए सभी 8 मरीन पुलिस स्टेशन के तहत प्रारंभ करने की सूचना दी गई है।

गुजरात सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुमोदन देने के लिए 2013 में दरख्वास्त भेजी है लेकिन मंजूरी आज तक नहीं मिली है। गृह मंत्रालय द्वारा उनकी कार्यवाही की नोटिंग के मुताबिक 11 बंदरगाहों पर इमिग्रेशन सेट आप करना तय हुआ है लेकिन 11 इमिग्रेशन चेक पोस्ट का फॉरमल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। मेरी मांग है कि इसकी मंजूरी दी जाये।